

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-05निदे0/प्री-मैट्रिक (द0नि0) 10-01/2025 अनु0-

संकल्प

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा-I से IV तक ₹1200/- वार्षिक, कक्षा-V से VI तक ₹2400/- वार्षिक, कक्षा-VII से X तक ₹3600/- वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) ₹6000/- वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं दर संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या-282 दिनांक-11.02.2011 के द्वारा राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-I से X तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निम्नवत् दर पर विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

क्र0	वर्ग	छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
i	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग-I से IV	₹600/-
ii	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग -V से VI	₹1200/-
iii	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग -VII से X	₹1800/-
iv	मुसहर/भुइया छात्रवृत्ति वर्ग-I से VI	₹1200/-
v	कक्षा I से X तक (छात्रावासी)	₹3000/-

- (क) वर्तमान में वर्ग 1 से 8 के लिए राज्य स्कीम से तथा वर्ग 09 एवं 10 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना से छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है।
- (ख) छात्रवृत्ति हेतु शैक्षणिक वर्ष में दिनांक-01 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के दौरान उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए।
2. वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (मुसहर/भुइया सहित) एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति

प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 से (01.04.2025 के प्रभाव से) विद्यालय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दर को निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है।

क्र० सं०	वर्ग	छात्रवृत्ति की वर्तमान दर (वार्षिक)	दिनांक-01.04.2025 से छात्रवृत्ति की संशोधित दर (वार्षिक)
i	वर्ग-I से IV	₹600/-	₹1200/-
ii	वर्ग -V से VI	₹1200/-	₹2400/-
iii	वर्ग -VII से X	₹1800/-	₹3600/-
iv	वर्ग - I से X तक (छात्रावासी)	₹3000/-	₹6000/-

- (क) वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय होगी।
 - (ख) सभी अर्हता प्राप्त बिहार राज्य के निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी इस योजना से आच्छादित होंगे।
 - (ग) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।
 - (घ) विभागीय संकल्प सं०-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
 - (ङ) शिक्षा विभाग द्वारा यदि अन्य लाभुक आधारित योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त को शिथिल/परिवर्तित किया जाता है तो उक्त के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु भी 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त को शिथिल/परिवर्तित मानी जाएगी।
3. राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण के तहत अनुसूचित जाति के लिए उपमुख्य शीर्ष-01 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उपमुख्य शीर्ष-02 के तहत बजट उपबंध से राशि का वहन किया जायेगा।
 4. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-05निदे०/प्री-मैट्रिक (द०नि०) 10-01/2025 अनु० 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-05निदे०/प्री-मैट्रिक (द०नि०) 10-01/2025 अनु० 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-05निदे०/प्री-मैट्रिक (द०नि०) 10-01/2025 अनु० 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-05निदे०/प्री-मैट्रिक (द०नि०) 10-01/2025 अनु० 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-05निदे०/प्री-मैट्रिक (द०नि०) 10-01/2025 अनु० 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय

तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


03-02-24

सरकार के, सचिव

ज्ञापांक:-05निदे0/प्री-मैट्रिक (द0नि0) 10-01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक-03/02/2026
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार
को सूचनार्थ प्रेषित।


03.12.26
सरकार के सचिव